बिहार विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत भवन-2, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, दिनांक 24 मार्च, 2017

उर्जा विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 17 दिनांक 30.10.2012 द्वारा दिनांक 01.11.2012 के प्रभाव से "बिहार राज्य विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम 2012" के अन्तर्गत कार्यकलापों के आधार पर पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पाँच अनुषंगी कम्पनियों के रूप में पुर्नगठित किया गया, जिनके नाम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (BSPHCL), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (BSPGCL), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड (BSPTCL), नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (NBPDCL) एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (SBPDCL) है।

2. प्रत्येक अनुषंगी कम्पनियों को प्रत्येक वर्ष 15 नवम्बर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ याचिका दायर करना है। इसी आलोक में ये कम्पनियाँ वित्तीय वर्ष 2013–14 से ही अलग–अलग टैरिफ याचिका दायर करती आ रही है।

आयोग निम्नलिखित अनुषंगी कम्पनियों के लिए अलग–अलग टैरिफ आदेश दिनांक 08 मार्च, 2017 को पारित एवं घोषित कर चुका है–

(1) बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड (BSPTCL)

(2) बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड (BSPGCL)

(3) बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (BGCL)

(4) राज्य भार पारेषण केन्द्र (SLDC)

3. नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अंकेक्षण के आधार पर वास्तविक खर्च की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक कार्य कलापों की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक राजस्व की आवश्यकता एवं खुदरा विद्युत बिक्री दर का निर्धारण के लिए याचिका दिनांक 06 दिसम्बर, 2016 को आयोग के समक्ष दायर किया।

दोनो आवेदकों द्वारा याचिका में दिये गये प्रस्तावों पर आम जनता एवं हितधारकों से प्राप्त सुझाव, आपत्ति एवं मंतव्य पर विचार करने एवं समुचित जाँच एवं परीक्षण के बाद वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ आदेश निर्गत किया जा रहा है।

4. यह उल्लेखनीय है कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ आदेश 21 मार्च, 2016 को निर्गत किया था जिसे दोनो विद्युत वितरण कम्पनियों ने माननीय विद्युत अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal for Electricity) नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी थी। माननीय APTEL ने सम्बंधित पार्टियों को सुनने के बाद दिनांक 25 नवम्बर, 2016 को आदेश पारित किया जिसमें इस आयोग को अपील लौटाते (remand) हुए आठ बिन्दुओं पर विचार कर चार माह के अन्दर पुनः आदेश पारित करने का निदेश दिया।

आयोग ने जन सुनवाई आयोजित कर आम जनता तथा हितधारकों से सुझाव/आपत्ति/मंतव्य प्राप्त करने के साथ ही संबंधित पक्षकारों का पक्ष/दावा सुनने के बाद दिनांक 08 मार्च, 2017 को दोनो कम्पनियों के लिए आठ विषयों पर अलग–अलग आदेश पारित किया। उक्त आदेश में पारित आर्थिक प्रभाव को वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण पर आधारित वास्तविक खर्च में तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के वास्तविक राजस्व की आवश्यकता में जोड़ दिया गया, परन्तु वित्तीय वर्ष 2016–17 के टैरिफ संबंधी शर्त्तों एवं निर्धारित दर पर कोई प्रभाव नहीं डाला गया।

5. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अंकेक्षण पर आधारित वास्तविक खर्च की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक कार्य कलापों की समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक राजस्व की आवश्यकता संबंधी याचिका पर आम जनता एवं हितधारकों से प्रमण्डलीय मुख्यालयों में जन सुनवाई तथा आयोग के मुख्यालय में जन सुनवाई के साथ ही राज्य परामर्शदात्री समिति की भी राय प्राप्त कर आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को आदेश पारित करने की प्रक्रिया पूर्ण किया। याचिकाकर्त्ता, आम जनता तथा हितधारकों को अपने पक्ष में अपना लिखित एवं मौखिक सुझाव, आपत्ति एवं मंतव्य देने का पर्याप्त अवसर दिया गया।

6. दोनों कम्पनियों ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लए कुल मिलाकर औसत 84% टैरिफ में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था जिसपर आयोग द्वारा समुचित विचार करने के बाद बिना अनुदान की गणना किये कुल मिलाकर औसत 55% टैरिफ वृद्धि करने की स्वीकृति दी गयी है। यदि राज्य सरकार बी.पी.एल. एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को अनुदान की अवधि का विस्तार करने पर सहमत होती है, जैसा कि वितरण कम्पनियों का UDAY योजना के अन्तर्गत उर्जा मंत्रालय से समझौता हुआ है, तो यह वृद्धि घटाकर 28% के आसपास आ

सकता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में टैरिफ में वृद्धि करने पर विचार करते समय आयोग ने बिहार के पड़ोसी राज्यों के वर्त्तमान टैरिफ का भी तुलना किया एवं हाल के वर्षो में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था एवं अन्य सेवाओं में हो रहे सुधार को भी ध्यान में रखा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित टैरिफ अनुसूची संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 तक टैरिफ निर्धारण के समय राज्य सरकार द्वारा कुटिर ज्योति (गरीबी रेख से नीचे के परिवारों) श्रेणी, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता (डी.एस.–I), ग्रामीण गैर–घरेलू उपभोक्ता (एन.डी.एस.–I) तथा सिंचाई एवं कृषि (आई.ए.एस.–I) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बहुत हद तक अनुदानित दर पर टैरिफ निर्धारण के लिए सम्भावित अनुदान की राशि की सूचना आयोग को प्राप्त हो जाती थी। टैरिफ अनुसूची से प्रतीत होता है कि उन चार श्रेणी के उपभोक्ताओं का टैरिफ में समानुपातिक रूप से वृद्धि की गयी है। इसका कारण यह है कि वितरण कम्पनियों ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक राजस्व की आवश्यकता से संबंधित अपने टैरिफ याचिका में राज्य सरकार से मिलने वाली रिर्सोस गैप ग्रांट (अनुदान) का दावा नहीं किया है क्योंकि सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है। फलस्वरूप आयोग ने उपर्युक्त चार श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिना अनुदान की गणना के विद्युत दर का निर्धारण किया है। आयोग को एक विनियामक होने की स्थिति में उर्जा यूटिलीटी के व्यवसायिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने समाज के गरीब तबकों के लोगों द्वारा उनके भुगतान की क्षमता को ख्याल करते हुए ग्रामीण उपभोक्ताओं तथा कृषि प्रक्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए जहाँ तक सम्भंव हो सका है Cross subsidised cost reflective tariff का निर्धारण किया है। यह अनुमान है कि राज्य सरकार कुंटीर ज्योति तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को UDAY योजनांतर्गत उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हुए समझौते के आधार पर अनुदान की सुविधा का विस्तार जारी रखेगी।

7. पूर्व वर्षो की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में टैरिफ वृद्धि का कारण प्राथमिक रूप से निम्नलिखित है :–

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा रिर्सोस गैप ग्रांट (अनुदान) की अनुपलब्धता।
(ii) वितरण क्षति को UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) योजना के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना।
(iii) ग्रीड एवं संचरण नेटवर्क में विस्तार के कारण संचरण टैरिफ में वृद्धि।
(iv) पूँजीगत व्यय के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के तरीकों में परिवर्तन।
(v) उच्चतर गैर परम्परागत नवीकरणीय उर्जा क्रय के प्रावधान के आलोक में उच्चत्तर दायित्वों को पूर्ण करना।